

प्रेषक:

अमित सिंह नेगी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में:

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून दिनांक 04 मई, 2018

विषय:- ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-132/XXVII(7)40/2018 दिनांक 04 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा ग्रेड वेतन 4800 अथवा उससे न्यून ग्रेड वेतन के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों को ए0सी0पी0 के रूप में प्रोन्नति वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

2. वित्तीय नियमों एवं उक्त वर्णित शासनादेश में उपबन्धित व्यवस्था से इतर यदि किसी प्रकरण में अधिक भुगतान की स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो कृपया नियमानुसार वेतन/पेंशन पुनर्निर्धारित करते हुये वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के भाग-1 के प्रस्तर-81 (3) की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित सरकारी सेवक के वेतन/पेंशन से बसूली/समायोजन की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-136 (1)/XXVII(7)40/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. सदस्य सचिव, जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
(अमित सिंह नेगी)
सचिव।